

रीडर

4/10/19 वकील उमय पक्ष उपो नही है। बार-बार अलाह
डिलाई गई कोई हाजिर नही है। पत्रावली
का अवलोकन किया गया। संकलन वर्ष
2013 से लखवी में चल रहा है। अतः
वर्ष का दावा लखवी के अभाव में एवं
अदम हाजरी अदम पंखी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
दोहर बाद लखवी दफ्तर दारखत की
जावे।

उप जिला कलक्टर
वामनगस (जिला-स०मा०)

